



# बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स :- 2226906, फोन :- 0151-2226902, 0151-2226905

E-mail:- nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site [www.bikanermc.org](http://www.bikanermc.org)

क्रमांक / स्वा. / 2023/३३१६३

दिनांक :- १३/१२/२३

-: (एआरसी ई-निविदा सूचना संख्या ०२ वर्ष २०२३-२४) :-

नगर निगम बीकानेर की नथाणियाँ गौशाला में पशुओं के लिये हरा एवं सूखा चारा आपूर्ति कार्य दर संविदा हेतु पंजीकृत फर्मो निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया से ऑनलाईन निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित विवरण राज्य सरकार की ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल <http://eproc.rajasthan.gov.in>, [www.sppp.raj.nic.nic](http://www.sppp.raj.nic.nic) तथा नगर निगम, बीकानेर की वेबसाईट [www.bikanermc.org](http://www.bikanermc.org) पर देखी व डाउनलोड की जा सकती है।

निविदा का कुल लागत राशि :- 220/- लाख रुपये

*(Signature)*  
आयुक्त  
नगर निगम बीकानेर  
दिनांक :- १३/१२/२३

क्रमांक / स्वा. / 2023/३३१६३

प्रतिलिपि:-

- श्रीमान् निदेशक, राजस्थान संवाद, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को प्रषित कर निवेदन है कि उक्त निविदा का प्रकाशन:-
  - एक मुख्य क्षेत्रीय दैनीक सामाचार पत्र में।
  - एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक सामाचार पत्र एवं अखिल स्तरीय अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र में RTPP नियमानुसार प्रकाशित करने का श्रम करावें एवं Intimation नगर निगम बीकानेर की ई-मेल आईडी [nagarnigambikaner@gmail.com](mailto:nagarnigambikaner@gmail.com), पर भिजवाने का श्रम करें।

*(Signature)*  
आयुक्त  
नगर निगम बीकानेर



# बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स :- 2226906, फोन :- 0151-2226902, 0151-2226905

E-mail:- nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site [www.bikanermc.org](http://www.bikanermc.org)

क्रमांक / स्वा. / 2023 / 33164

दिनांक :- 13/12/23

-: (एआरसी ई-निविदा सूचना संख्या .02.. वर्ष 2023-24) :-

नगर निगम बीकानेर की नथाणियाँ गौशाला में पशुओं के लिये हरा एवं सूखा चारा आपूर्ति कार्य दर संविदा हेतु पंजीकृत फर्मों निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया से ऑनलाईन निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। निविदा से संबंधित विवरण राज्य सरकार की ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल <http://eproc.rajasthan.gov.in>, [www.sppp.raj.nic.nic](http://www.sppp.raj.nic.nic) तथा नगर निगम, बीकानेर की वेबसाइट [www.bikanermc.org](http://www.bikanermc.org) पर देखी व डाउनलोड की जा सकती है।

निविदा का कुल लागत राशि :- 220/- लाख रुपये

3  
9  
आयुक्त  
नगर निगम बीकानेर



# बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स :- 2226906, फोन :- 0151-2226902, 0151-2226905

E-mail:- nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site [www.bikanermc.org](http://www.bikanermc.org)

क्रमांक / स्वा. / 2023/33165

दिनांक :- 13/12/23

## -: (एआरसी ई-निविदा सूचना संख्या 02.... वर्ष 2023-24) :-

नगर निगम बीकानेर की नथाणियाँ गौशाला में पशुओं के लिये हरा एवं सूखा चारा आपूर्ति कार्य दर संविदा हेतु पंजीकृत फर्म निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया से ऑनलाईन निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित विवरण राज्य सरकार की ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल <http://eproc.rajasthan.gov.in>, [www.sppp.raj.nic.nic](http://www.sppp.raj.nic.nic) तथा नगर निगम, बीकानेर की वेबसाईट [www.bikanermc.org](http://www.bikanermc.org) पर देखी व डाउनलोड की जा सकती है।

निविदा का कुल लागत राशि :- 220/- लाख रुपये

1 निविदा कार्य	नगर निगम बीकानेर की नथाणियाँ गौशाला में पशुओं के लिये हरा एवं सूखा चारा आपूर्ति कार्य
2 निविदा की कुल लागत	220/-लाख रुपये
3 कार्य की कुल समय अवधि	01 वर्ष
4 ऑनलाईन निविदा फॉर्म मिलनें की तिथि	दिनांक 14.12.2023 को 9:30 बजे से दिनांक 03.01.2024 तक
5 ऑनलाईन निविदा फॉर्म जमा करानें की तिथि	दिनांक 04.01.2024 को 9:30 बजे से दिनांक 03.01.2024 5:00 PM तक PM
6 ऑनलाईन तकनिकी निविदा खोलनें की तिथि	दिनांक 04.01.2024 को दोपहर 3:00 बजे बाद
7 ऑनलाईन वित्तीय बिड़ खोलनें की तिथि	तकनिकी बिड़ में सफल फर्म की ही वित्तीय बिड़ खोली जायेगी जिसके लिये अलग से सूचना दी जायेगी।

क्रमांक / स्वा. / 2022/33165-168

प्रतिलिपि:-

- श्रीमान् निदेशक एवं सयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
- माननीय महापौर महोदया, नगर निगम बीकानेर।
- श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, बीकानेर।
- सुरक्षित पत्रावली।

आयुक्त  
नगर निगम बीकानेर  
दिनांक 13/12/23

आयुक्त  
नगर निगम बीकानेर

**2. वित्तीय बिड़ (द्वितीय भाग) :-** तकनिकी बिड़ में सफल निविदादाताओं की वित्तीय बिड़ खोली जायेगी, निविदादाता निम्न प्रपत्र में ऑनलाईन दर प्रस्ताव देना होगा।

**दर प्रस्ताव प्रपत्र :-**

क्र.सं.	कार्य का नाम	मात्रा	ईकाई	संवेदक द्वारा प्रस्तुत दर (सभी करों सहित)
<b>नगर निगम बीकानेर की नथाणियाँ गौशाला में पशु आहार सप्लाई कार्य।</b>				
1.	हरा चारा (मक्का, ज्वार, बाजरा, जई, रिचका)	01	प्रति किग्रा	
2.	गेहूँ का भूसा (तूड़ी)	01	प्रति किग्रा	
3.	बजरे की कुट्टी एवं सूखला	01	प्रति किग्रा	
4.	ज्वार, सोयाबीन	01	प्रति किग्रा	
5.	रसकट गुड	01	प्रति किग्रा	
6.	बिनोला खल	01	प्रति किग्रा	
7.	मूंग चूरी	01	प्रति किग्रा	
8.	मूंगफली चारा	01	प्रति किग्रा	
9.	ग्वार फली चारा (फलगट्टी)	01	प्रति किग्रा	

**3. सामान्य शर्तें :-**

- बोलीदाता से अपेक्षित किया जाता है कि वह बोली का अपलोड/जमा करवानें या हस्ताक्षर करने से पूर्व इन नियमों, शर्तों एवं प्रावधानों को ध्यानपूर्वक पढ़कर व समक्ष कर ही भरे/अपलोड कर यदि किसी शर्त एवं प्रावधान के संबंध में कोई संदेह हो तो बोली अपलोड करने की निर्धारित अंतिम दिनांक व समय से पूर्व कार्यालय से उसका निवारण एवं जानकारी प्राप्त की जा सकती है अन्यथा यह समझा जावेगा कि समस्त शर्त एवं प्रावधान आदि संवेदक को समझ में आ गया है एवं इस संबंध में समस्त जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी।
- बोली द्विकवर पद्धति के अनुसार आंमत्रित की गयी है जिसमें प्रथम भाग तकनिकी बोली का होगा जिसमें समस्त तकनिकी योग्यता, बोली दस्तावेज की प्रति पर हस्ताक्षर मय सील सहित आवश्यक मांगे गये समस्त दस्तावेज पीडीएफ फॉरमेट में अपलोड करनें होंगे तथा द्वितीय भाग वित्तीय बोली होगी जिसमें दर की ऑनलाईन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करनी होगी तथा तकनिकी बोली में सफल तकनिकी बोलीदाताओं की ही वित्तीय बोली खोली जाएगी जिसके लिए अलग से सूचित कर दिया जाएगा।



# बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स :- 2226906, फोन :- 0151-2226902, 0151-2226905

E-mail:- [nagarnigambikaner@gmail.com](mailto:nagarnigambikaner@gmail.com), Web Site [www.bikanermc.org](http://www.bikanermc.org)

**कार्य का नाम :-** नगर निगम बीकानेर की नथाणियाँ गौशाला में पशुओं के लिये हरा एवं सूखा चारा आपूर्ति कार्य।

1. **तकनिकी बिड़ (प्रथम भाग) :-** निविदा में भाग लेने वाली फर्मों की तकनिकी जाँच निम्न बिन्दुओं के आधार पर की जायेगी उक्त बिन्दुओं अनुसार सफल निविदादाता की ही वित्तीय बिड़ खोली जायेगी।

क्र.सं.	दस्तावेज का विवरण
01	निविदा शुल्क 2,000/-रुपये, प्रोसेसिंग फीस 1500/-रुपये, बिड़ सिक्योरिटी निविदा मूल्य का 02 प्रतिशत भुगतान ऑनलाईन प्रक्रिया से करना होगा। इस हेतु नगर निगम की वेबसाईट <a href="http://www.bikanermc.org">www.bikanermc.org</a> पर Pay ऑनलाईन ऑप्शन से करना होगा। संवेदक को भुगतान के पश्चात् रशीद को ऑनलाईन साईट <a href="http://eproc.rajasthan.gov.in">http://eproc.rajasthan.gov.in</a> पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
02	फर्म/संवेदक का रिश्तेदार नगर निगम बीकानेर में कार्यरत नहीं होने का 50/-रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नॉटेरी से प्रमाणित शपथ—पत्र।
03	आयकर (ऐन नम्बर) व जीएसटी पंजीयन प्रमाण—पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।
04	पंजीकृत फर्म का अंतिम 02 वर्षों में (वर्ष 2021-22, 2022-23) औसत टर्नओवर 50.00/- लाख रुपये का होना चाहिए। इस हेतु सी.ए. का प्रमाण—पत्र संलग्न करना होगा।
05	पंजीकृत फर्म द्वारा 01.04.2022 से निविदा जारी होने की दिनांक तक गेहूँ का भूसा (तूड़ी) सप्लाई के 70/-लाख रुपये का कार्यादेश/आपूर्ति आदेश होना अनिवार्य है। अनुभव प्रमाण—पत्र या आपूर्ति प्रमाण—पत्र/सरकारी विभाग/स्थानीय निकाय/विश्वविद्यालय द्वारा जारी हुआ होना चाहिए। निजी संस्था से जारी प्रमाण—पत्र मान्य नहीं होगा। (संलग्न परिशिष्ट 02 के अनुसार)
06	फर्म ब्लैक लिस्ट नहीं होने का 100/-रुपये का स्टाम्प पर शपथ—पत्र।
07	परिशिष्ट 1,2
08	Annexure – A B C D

3. बोली दस्तावेजों में किसी शर्तों, प्रावधान, शास्ति आदि का आपस में विरोधाभास होने पर आयुक्त नगर निगम बीकानेर का निर्णय अंतिम निर्णय एवं मान्य / बाध्य होगा।
4. बोली प्रक्रिया पर बोलीदाता को कोई भी आपत्ति होने पर राजस्थान लोक उपापन अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधान अनुसार अपील की जा सकती है अन्य प्रकार की शिकायत पर विचार नहीं किया जावेगा।
5. कार्यालय न्यूनतम दर की निविदा को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है तथा निविदा अथवा उसके किसी भी भाग को लिए बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकार आयुक्त नगर निगम, बीकानेर को होगा।
6. समय पर सप्लाई ना करने पर नियमानुसार शास्ति आरोपित कर रिस्क एण्ड कोस्ट नियम लागू होगा।
7. निविदादाता ठेका / कार्य अथवा कार्य के किसी भाग को उपभाड़े (सबलेट) नहीं देगा।
8. दरे गन्तव्य स्थानतक एफ.ओ.आर. उद्धत की जानी चाहिए उन में सभी अनुशांगिक प्रभारी को शामिल करना चाहिए।
9. निविदादाता को बिड डॉक्यूमेन्ट ऑनलाईन डाउनलोड करने होंगे।
10. निविदा शुल्क एवं निविदा प्रोसेस शुल्क का रिफण्ड क्लेम नहीं किया जायेगा।
11. बिड सिक्योरिटी निविदा राशि का 02 प्रतिशत ऑनलाईन जमा करवाना होगा।
12. अनुबंध 01 वर्ष का होगा जो आदेश जारी होने की तिथि के आगामी दिवस से प्रभावी माना जायेगा। आर.टी.पी.पी. नियम 29 के अनुसार किसी न्यूनतम मात्रा की गारण्टी नहीं दी जा रही है।
13. समस्त राजकीय एवं अन्य करों, सप्लाई हेतु प्रयुक्त वाहनों तथा व्यक्तियों का बीमा कराने एवं अन्य समस्त दायित्वों की जिम्मेदारी सप्लायर की होगी।
14. दरें कार्यादेश जारी दिनांक से 01 वर्ष तक मान्य होगी तथा नियमानुसार आगे बढ़ाई जा सकेगी।
15. यदि आयकर लगता है तो अधिकार नियमानुसार काटा जायेगा।
16. बोलियों की विधिमान्यता कालावधि :— साधारणतया 90 दिन होगी।
17. विलम्ब से प्राप्त बोलियाँ :— बोलियाँ प्राप्त करने के लिये प्राधिकृत व्यक्ति, ऐसी किसी भी बोली को प्राप्त नहीं करेगी जो बोलियाँ प्रस्तुतिकरण के लिए नियत समय और तारीख के पश्चात् व्यक्तिशः प्रस्तुत की गयी हो। कोई भी बोली जो बोलियों के प्रस्तुतिकरण के लिए अंतिम समय सीमा के पश्चात् डाक द्वारा पहुँची हो को विलम्ब से प्राप्त के रूप में चिन्हित और घोषित किया जायेगा और बिना खोले ही रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा बोली लगाने वाले को लौटा दिया जायेगा।
18. किसी या समस्त बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का उपापन संस्था का अधिकार :— उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
19. परिणाम में परिवर्तन का अधिकार :— संविदा के अधिनियम के समय, बोली दस्तावेजों में मूलतः विनिर्दिष्ट माल, संकर्मों या सेवाओं के परिणाम में बढ़ोत्तरी की जा सकेगी, किन्तु ऐसी बढ़ोत्तरी बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिणाम के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। सहबोली और बोली दस्तावेजों के ईकाई मुल्यों या अन्य निवंधनों और शर्तों में किसी परिवर्तन के बिना होगी।

20. कार्य सम्पादन प्रतिभूति :— कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम 2.5 प्रतिशत जमा करवानी होगी जो कार्यादेश के पूर्व निगम में जमा कराई जानी होगी, जो कार्य समाप्ति पर बिना ब्याज के पुनः लौटा दी जायेगी।
21. बोली प्रतिभूति :— प्रस्तुत उपापन की विषय वस्तु के प्राक्कलित मूल्य का 02 प्रतिशत होगी या जैसे राज्य सरकार निविर्दिष्ट करें। राजस्थान के लघु उद्योगों की दशा में यह प्रदाय के लिये प्रदत्त मात्रा का 0.5 प्रतिशत होगी और लघु उद्योगों से भिन्न रूण उद्योगों की दश में जिनके मामले औद्योगिकी एवं वित पुनः निर्माण बोर्ड के समख लम्बित है, यह बोली के मूल्य 01 प्रतिशत होगी। राज्य सरकार द्वारा रजिस्ट्रीकृत बोली लगानें वालों से विनिर्दिष्ट रियायती बोली प्रतिभूति ली जा सकेगी। बोली प्रतिभूति वेबसाईट [www.bikanermc.org](http://www.bikanermc.org) पर Pay ऑनलाईन ऑपशन के माध्यम से जमा की जा सकेगी। बोली प्रतिभूति, बोली की मूल्य या बढ़ायी गयी विधिमान्यता की कालावधि से 30 दिन आगे विधिमान्य रहनी चाहिये।
22. बोली लगानें वाले से ली गई बोली प्रतिभूति निम्नलिखित मामलों में जब्त कर दी जाएगी, अर्थात् :-
- (क) जब बोली लगानें वाला प्रदाय/संकर्म आदेश देने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार, यदि कोई हो, का निष्पादन नहीं करता है।
  - (ख) जब बोली लगानें वाला प्रदाय/संकर्म आदेश देने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर लगानें करार, यदि कोई हो, का निष्पादन नहीं करता है।
  - (ग) जब बोली लगानें वाला विनिर्दिष्टसमय के भीतर प्रदाय/संकर्म आदेश के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारंभ करनें में असफल रहता है।
  - (घ) जब बोली लगानें वाला प्रदाय/संकर्म आदेश दिये जाने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं करता है।
  - (ङ) यदि बोली लगानें वाला प्रदाय/संकर्म आदेश दिये जाने के पश्चात् विनिर्दिष्ट बोली लगानें वालों के लिये विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध का भंग करता है।
23. सफल बोली लगानें वाले की दिशा में बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन की प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है, या लौटायी जा सकती है। यदि सफल बोली लगानें वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता है।
24. उपापन संस्था निम्नलिखित दशाओं के शीघ्र पश्चात् बोली प्रतिभूति को तत्परता से लौटा देगी, अर्थात् :-
1. बोली प्रतिभूति की विधिमान्यता के आवासन पर।
  2. सफल बोली लगानें वाले के द्वारा उपापन के लिए करार के निष्पादन और कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने पर।
  3. उपापन प्रक्रिया के रद्दकरण पर।
  4. बोली प्रस्तुत करनें के लिए अंतिम समय — सीमा से पूर्व बोली के प्रत्याहरण कर जब तक की बोली दस्तावेजों में यह अनुबंध नहीं हो कि ऐसा कोई प्रत्याहरण नहीं किया गया।
25. करार का निष्पादन :-
1. कोई उपापनी संविदा ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगी जिसको स्वीकृति पत्र या आशय पत्र बोली लगानें वाले को प्रेषित किया जाता है।

2. सफल बोली लगाने वाला, बोली दस्तावेज में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर या जहाँ बोली दस्तावेज में कोई कालावधि विनिर्दिष्ट नहीं की गयी हो वहाँ उस तारीख से 15 दिवस के भीतर, जिस पर सफल बोली लगाने वाले को खीकृति पत्र या आशय पत्र प्रेषित किया जाता है उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करेगा।
3. यदि बोली लगाने वाला, जिसकी बोली खीकृति की जा चुकी है, विनिर्दिष्ट कालावधि में लिखित उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है या अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो उपापन संस्था, सफल बोली लगाने वाले के विरुद्ध अधिनियम या इन नियमों के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगी। उपापन संस्था, ऐसे मामलों में उपापन प्रक्रिया रद्द कर सकेगी या यदि वह उचित समझे तो बोली दस्तावेज में उपवर्णित कर्सौटी और प्रक्रियाओं के अनुसार न्यूनतम या सर्वाधित लाभप्रद दरों पर अगले न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दर बोली लगाने को खीकृति का प्रस्ताव दे सकेगी।
4. बोली लगाने वाले को उसके खर्च पर विनिर्दिष्ट मूल्य के न्यायिकेतर रटाम्प पर करार निष्पादित करने के लिये कहा जायेगा।

#### 26. परिणाम में परिवर्तन का अधिकार :-

1. यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिणाम से कोई कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
2. अतिरिक्त मंदो या अतिरिक्त परिणामों के लिए पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजों में उपबंधित हो, संविदा में दी गयी दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियों आमंत्रित करने के पश्चात दिया गया था। त्रिवाय या पूर्ण होने की कालावधि की अनुपातिक रूप से बढ़ाई जा सकेगी। पुनरादेश की सीमाएँ निम्नलिखित होगी।  
 (क) संकर्मों की दशा में व्यष्टिक मंदो की मात्रा का 50 प्रतिशत और मूल संविदा के मूल्य का 50 प्रतिशत और  
 (ख) मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 50 प्रतिशत।

27. बोली दस्तावेजों में परिवर्तन :- बोली प्रस्तुत करने के लिए अंतिम समय—सीमा से पूर्व भी समय उपापन संस्था किसी कारण से चाहे रव्वप्रेरणा पर या बोली लगाने वाले के द्वारा रपष्टीकरण के लिए किसी अनुरोध के परिणामरवरूप धारा 23 के उपबंधों के अनुसार युक्तिया जारी करके बोली दस्तावेजों को उपांतरित कर सकेगी।

#### 28. बोलियों की विधिमान्यता की कालावधि :-

1. बोली लगाने वालों के द्वारा प्रस्तुत बोली, बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट कालावधि के दौरान विधिमान्य रहेगी। यह कालावधि सामान्यतः 90 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए किन्तु उपापन की प्रकृति के आधार पर यह अधिक भी हो सकती है। लघुत्तर कालावधि के लिए विधिमान्य कोई बोली गैर प्रत्युत्तर दयरत्रायी के यप में उपापन संस्था द्वारा अस्वीकार की जायेगी।
2. बोलियों की विधिमान्यता की कालावधि के अवासन के पूर्व उपापन संस्था आपवाकि परिस्थितियों में बोली लगाने वालों से अतिरिक्त विनिर्दिष्ट समयावधि के लिए बोली की विधिमान्यता की कालावधि का विस्तार करने के लिए अनुरोध कर सकेगी। बोली लगाने वाला अनुरोध को

अस्वीकार कर सकता है और ऐसी अस्वीकृति बोली प्रत्याहरण के रूप में मानी जायेगी किन्तु ऐसी परिस्थितियों में बोली प्रतिभूति सम्पहत की जायेगी।

3. ऐसे बोली लगाने वाले जो उनकी बोली की विधिमान्यता के कालावधि के रूप में विस्तार करेंगे / करायेंगे या उनकी बोली की विधिमान्यता की विस्तारित कालावधि को आवृत्त करनें के लिए नयी बोली की विधिमान्यता की विस्तारित कालावधि को आवृत्त करनें के लिए नहीं बोली प्रतिभूति प्रस्तुत करेंगे। कोई बोली लगाने वाला जिसकी बोली प्रतिभूति विस्तारित नहीं की जा जाती है या जिसने नई बोली प्रतिभूति प्रस्तुत नहीं की है। इसे उसकी बोली की विधिमान्यता की कालावधि के विस्तार के लिए अनुरोध को अस्वीकार किया जाना माना जायेगा।
29. समयावधि में वृद्धि :— नगर निगम फर्म द्वारा प्रस्तुत कारणों से संतुष्ट है तो आपूर्ति आदेश में दिये गये समय में नियमानुसार समयावधि में वृद्धि कर सकेगा। इस हेतु आयुक्त / महापौर सक्षम होंगे।
30. जुर्माना :— बोली लगाने वाला करार निष्पादन के पश्चात् कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराने के पश्चात् यदि कार्य नहीं करता है या कार्य अधूरा छोड़ता है तो कार्य सम्पादन प्रतिभूति जब्त की जा सकेगी तथा नगर निगम से अधिकांश 03 वर्षों के लिए फर्म को ब्लैक लिस्टेड किया जावेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी बिडर स्वयं की होगी। विषेष शर्तों में अंकित शर्तें भी लागू होगी।
31. इनकें अलावा शेष अन्य शर्तें RTPP ACT 2012 & RULE 2013 & GF & AR में वर्णितानुसार लागू होगी। जहाँ अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 व जीएफ एण्ड एआर की शर्तों में भिन्नता होने पर आर.टी.पी.पी. अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 मान्य होंगे, वित विभाग द्वारा जारी संबंधी अधिसूचना तथा डी.एल.बी. जयपुर द्वारा अधिसूचना आदि के अधीन होगी।
- हरा / सूखा चारा सप्लाई की विषेष शर्तें तथा पेनल्टीज का विवरण :—
    1. सप्लाई किये जाने वाले चारे में कोई असामान्य रंग व गंध नहीं होनी चाहिए। चारे की कटाई सही ढंग की हुई होनी चाहिए, चारा फफुन्द, मिट्टी, रेत, पत्थर, लकड़ी के टुकड़े, प्लास्टिक, पानी से रहित होना चाहिए। चारे की गुणवत्ता के विषय में प्रभारी अधिकारी नथाणियाँ गौशाला नगर निगम का निर्णय अंतिम होगा तथा सप्लायर को मान्य होगा।
    2. सूखा चारा साफ सुथरा व सुनहरे रंग का होना चाहिए। हाथ की मुट्ठी में लेने पर केक नहीं बने अर्थात् मुट्ठी खोलनें पर पुनः बिखर जाये। सूखा चारा पशु के लिये डाइजेस्टेबल व न्यूट्रीट्रिट प्रोटीन फाईबर युक्त होना चाहिए।
    3. हरा चारा ताजा व रसदार होना चाहिए। जिसमें गाजर घास, अमरबेल आदि खरपतवार मिश्रित न हो।
    4. सप्लाई किये जाने वाले चारे को धर्मकांटे से तुलवाकर धर्मकांटे की रसीद के साथ देना होगा।
    5. सप्लायर को नथाणियाँ गौशाला घोल की पाटी में रख्ये खर्च से 200 किग्रा क्षमता का इलेक्ट्रॉनिक कांटा उपलब्ध करवाना होगा। जिस पर सप्लाई किये गये चारे का वजन पुनः जाँचा जायेगा। यह इलेक्ट्रॉनिक कांटा संविदा अवधि पूर्ण हो जाने पर सप्लायर पुनः ले जायेगा।
    6. सप्लायर को चारे की मात्रा नथाणियाँ गौशाला में रख्ये हुये पशुओं की संख्या के आधार पर सुचित व आदेशित की जायेगी। आदेशित मात्रा के अनुसार सप्लाई करनी होगी।

7. सप्लायर को नियमित रूप से मांग मात्रानुसार सप्लाई देनी होगी। यदि सप्लाई नहीं दी जाती है तो 5000/-रूपये प्रतिदिन की दर से शास्ति आरोपित की जायेगी तथा निगम द्वारा खुल बाजार से क्रय करने पर जो भी अन्तर राशि होगी वह भी सप्लायर से वसुल की जायेगी।
8. यदि सप्लायर पर संविदा अवधि में उक्त शर्त संख्या 07 के अनुसार 20 शास्तियाँ आरोपित हो जाती हैं तो नगर निगम को अधिकार होगा कि सप्लाई कार्य को असंतोषप्रद मानते हुये निष्पादन प्रतिभूति जब्त कर सप्लायर को अधिकतकम 03 वर्ष के लिये विवर्जित कर नई निविदा आमंत्रित करें। अतः सप्लायर को नियमित रूप में गुणवत्तापूर्ण चारा सप्लाई करना होगा।
9. नथाणियाँ गौशाला में निर्धारित स्थानों पर चारा अपलोड करने का कार्य सप्लायर द्वारा किया जायेगा।
10. संवेदक को मासिक भुगतान किया जायेगा। संवेदक को दायित्व होगा कि वो प्रत्येक माह का विल 10 तारीख तक भुगतान हेतु प्रस्तुत कर दे।
11. संवेदक द्वारा हरा चारा (ज्वार, मक्का, बाजरा) की कुट्टी करके सप्लाई करनी होगी।

**नोट :-** निविदा से संबंधित जानकारी एवं सुझाव नगर निगम की Email. [nagarnigambikaner@gmail.com](mailto:nagarnigambikaner@gmail.com) पर मेल के माध्यम से दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिये प्रभारी अधिकारी गौशाला शरह नथाणियाँ से सम्पर्क कर सकते हैं।



स्वास्थ्य  
अधिकारी / अनुभाग  
प्रभारी  
नगर निगम बीकानेर



सहायक लेखाधिकारी  
नगर निगम बीकानेर



मुख्य लेखाधिकारी  
नगर निगम बीकानेर



अमृत  
नगर निगम बीकानेर

घोषणा-पत्र

नगर निगम द्वारा नथाणियाँ गौशाला में रखे जाने वाले पशुओं के लिए चारा आपूर्ति कार्य हेतु जारी ई-निविदा संख्या ..... दिनांक ..... के संबंध में हम एतद द्वारा घोषणा करते हैं कि उक्त निविदा की समस्त शर्तों का मैनें/हमनें अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है। मुझे/हमें यह भी स्वीकार है कि आयुक्त नगर निगम का निर्णय हमारें लिये मान्य होगा। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मेरी/हमारी फर्म उक्त कार्य हेतु रजिस्ट्रेड है तथा फर्म द्वारा वास्तव में बिड़ में चाहा गया व्यवसाय विगत 03 वर्षों 20-21, 21-22, 22-23 से किया जाता है तथा वांछित मशीन/उपकरण/तकनिकी अनुभव व तकनिकी कर्मचारी आदि उपलब्ध है। राज्य सरकार/बोर्ड/विश्व/विद्यालय/स्वायतशासी संस्था/बैंक आदि के द्वारा मेरी/हमारी फर्म को ब्लैक लिस्ट नहीं किया हुआ है। प्रतीकस्वरूप बिड़ प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर (मध्य सील) कर दिये हैं। हमारी दरें नथाणियाँ गौशाला नगर निगम तक की हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी प्रकार की कार्यवाही करने के लिए नगर निगम स्वतंत्र होगा तथा बिड़ को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है रद्द किया जा सकता है हमारी फर्म कोई आपत्ति नहीं होगी।

दिनांक .....

बिड़दाता के हस्ताक्षरमय रबर सील

बिड़दाता का नाम .....

पूर्ण पता .....

मोबाइल नम्बर .....

अनुभव प्रमाण—पत्र का प्रारूप  
जारीकर्ता कार्यालय का नाम व पता

दिनांक

क्रमांक

जिससे भी संबंधित हो प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स .....  
(बिड़र का नाम व पता) द्वारा इस कार्यालय में निमानुसार गेहूँ का भूसा (तूँड़ी) आपूर्ति का  
कार्य संतोषप्रद किया गया है :-

क्र. सं.	अवधि	कार्यालय राशि	मुगतान राशि

जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर  
मय नाम व सील

नोट :- उक्त अनुभव प्रमाण—पत्र केवल राजकीय विभाग / स्थानीय निकाय या विश्वविद्यालय से जारी होने पर ही मान्य होगा। (तकनिकी बिड़ में अर्हता की शर्त संख्या 04 देखें।)